



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)

Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeofrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/यू.पी./09/31/2017/एफ.सी./225-

22/0/17

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय: गेल गैस लि० द्वारा 8''/6''/4'' व्यास की पाइपलाईन बिछाने हेतु आगरा-भरतपुर-जयपुर-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 के किमी० 33.150 से 42.950 तक 0.686 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मथुरा में सिटी गैक्स डिस्ट्रीब्यूटर परियोजना के अन्तर्गत कोसी-नन्दगाँव रोड औद्योगिक क्षेत्र, सिंहाना -वृन्दावन, छटीकरा-गोवर्द्धन, रिफाईनरी बी०पी०सी०एल० आउटलेट (यू०पी०एस०आई०डी०, औद्योगिक क्षेत्र) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 एवं अन्य मार्गों के किनारे पाइपलाईन बिछाने हेतु 3.8463 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 4.5323 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ : नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उ० प्र० के पत्रांक-281-गेल गैस (समेकित)/7811/2014, दिनांक: 02.08.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उ० प्र० के पत्रांक-2428-आगरा-मथुरा/7811/2014, दिनांक: 29.05.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-27.06.2017 द्वारा आवश्यक सूचनाएं चाही गयी थी जिसकी अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त केन्द्र सरकार गेल गैस लि० द्वारा 8''/6''/4'' व्यास की पाइपलाईन बिछाने हेतु आगरा-भरतपुर-जयपुर-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 के किमी० 33.150 से 42.950 तक 0.686 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं मथुरा में सिटी गैक्स डिस्ट्रीब्यूटर परियोजना के अन्तर्गत कोसी-नन्दगाँव रोड औद्योगिक क्षेत्र, सिंहाना -वृन्दावन, छटीकरा-गोवर्द्धन, रिफाईनरी बी०पी०सी०एल० आउटलेट (यू०पी०एस०आई०डी०, औद्योगिक क्षेत्र) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 एवं अन्य मार्गों के किनारे पाइपलाईन बिछाने हेतु 3.8463 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 4.5323 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् 9.0646 हे० (4.5323x2= 9.0646) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

(ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई-रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

22/8/17

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी. वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

3. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward) एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।
4. गैस पाइप लाईन डालने हेतु खुदाई के उपरान्त उत्सर्जित मलवे को ठीक प्रकार से उसी जहग पर भरा जाएगा एवं शेष मलवे को सुरक्षित स्थान पर निस्तारित किया जाएगा। यह कार्य प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा।
5. गैस पाइप लाईन बिछाने हेतु ट्रेन्च द्वारा खुदाई 0.70 mtrs की चौड़ाई में ही की जाएगी तथा प्रयोजन समाप्त होने के उपरान्त स्वतः वन भूमि का प्रत्यावर्तन समाप्त हो जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित योजना में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा एवं खुदाई के दौरान किसी भी वृक्ष की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, खुदाई सुरक्षित रूप से की जाएगी।
7. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

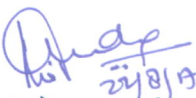
उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र-II/FC/ROC/95-2011/Part-V/1227 दिनांक- 02 फरवरी, 2016 के अनुसार प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. विशेष सचिव (वन), वन अनुभाग, बापू भवन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा, उ0 प्र0।
6. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा, उ0 प्र0।
7. वरिष्ठ प्रबन्धक (परियोजना), गेल गैस लि0, बी-35 एवं 36, जुबिली टॉवर, सेक्टर-1, नोएडा, उ0 प्र0।
8. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली

  
(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक(के.)